

LHB Train Parting एल.एच.बी. गाड़ी विभाजन

एल.एच.बी. कोच की विशेषता यह है कि रेलवे के पुराने आई.सी.एफ. कोच के मुकाबले 1.7 मीटर ज्यादा लंबे होते हैं। आई.सी.एफ. कोच की लंबाई 22.3 मी. होता है जबकि एल.एच.बी./हाईब्रीड कोच की लंबाई बफर से बफर तक 24 मी. होता है। इसमें यात्रियों की क्षमता पुराने कोच से अधिक है। इसकी सेल्फ लाईफ भी ज्यादा होती है। एल.एच.बी. कोच आरामदायक सीट, बॉयोटॉयलेट और अधिक स्पेस होता है। इनका ब्रेक सिस्टम अच्छा होता है, जिसके कारण रेल हादसों में कमी आई है।

एल.एच.बी. कोच में सी.बी.सी. कॉपलर में AARH (अमेरिकन एसोसिएट रेलवे हेड कपलर) टाईट कॉपलर लॉक होता है, जिसके कारण इसमें ट्रेन पार्टिंग नहीं होती है। अतः AARH (अमेरिकन एसोसिएट रेलवे हेड कपलर) कपलिंग में लॉक होने के बाद ट्रेन पार्टिंग नहीं होता है। कपलर टुटने के अतिरिक्त AARH टाइप लॉक कपलर लॉक होने के आद LHB रैक में Train पार्टिंग नहीं होती है। इस स्थिति में भी GR के नियम संख्या-6.08 का पालन किया जाएगा। कपलिंग अथवा नकलपीन के टुटने के कारण GR के नियम संख्या-6.08 एवं 6.09 के अनुसार लोको पायलट एवं गार्ड कार्यवाही करेंगे। इसके अतिरिक्त लोकोपायलट एवं गार्ड के द्वारा एल.एच.बी. में AARH कपलिंग टुटने के बाद GR के नियम संख्या-6.08 एवं 6.09 का पालन करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (i) कपलिंग टुटने के उपरांत पुरा कपलिंग सेट TXR द्वारा आवश्यकतानुसार बदला जायेगा।
- (ii) नकलपीन के टुटने पर नकलपीन बदल दिया जायेगा।
- (iii) Power कार से लोको पायलट/गार्ड द्वारा MOG/EOG से विद्युत आपूर्ति बंद कर देना चाहिए, जिससे मानव जीवन एवं रेलवे संपत्ति के क्षति होने को बचाया जा सके।
- (iv) EOG/MOG के विद्युत आपूर्ति को विद्युत आइसोलट कपलर द्वारा काट (डिस्कनेक्ट) कर बंद कर देना चाहिए ताकि जीवन एवं रेल संपत्ति की संभावित क्षति को बचाया जा सके।
- (v) HOG के द्वारा विद्युत आपूर्ति को इंजन से बंद कर जीवन एवं रेल संपत्ति की संभावित क्षति को बचाया जा सके।
- (vi) गाड़ी की संरक्षा GR के नियम संख्या-6.03 के अनुसार किया जायेगा।
- (vii) गाड़ी के ब्रेकयान में गार्ड द्वारा साईड लाइट, टेल लैंप/टेल बोर्ड/ब्रेकयान के हैंडब्रेक का संचालन इत्यादि नियम संख्या 6.08 एवं 6.09 का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

- (viii) गार्ड मूर्त प्रस्थान प्राधिकार यदि कोई हो, तो उसे जप्त कर अगले भाग को बीच सेक्शन से अगले स्टेशन तक जाने का लिखित अनुमति T/609 को जारी करेगा।
- (ix) अगले भाग के जाने के बाद शेष बची हुई गाड़ियों के Hand Brake को लगाया जाना चाहिए एवं गाड़ी को आगे से संरक्षित भी करना चाहिए।
- (x) विशेष परिस्थिति में दोनों विभक्त भागों को अलग-अलग भेजकर ब्लॉक खण्ड साफ किया जाना।
- (xi) HOG निर्मित इंजन से विशेष परिस्थिति में पैटोग्राफ को लोअर कर के सप्लाइ को बंद कर जान माल के होने वाले संभावित क्षति को बचाया जाना चाहिए।
- (xii) HOG वाले गाड़ियों में दुर्घटना/गाड़ी में कपलिंग टूटने के स्थिति में लोको पायलट को इंजन से HOG को बंद करना चाहिए जिससे यात्रियों/व्यक्तियों की जान माल की संरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- (xiii) गार्ड के द्वारा HOG वाले गाड़ियों के लोको पायलट से HOG इंजन से बंद करवा देना चाहिए ताकि यात्रियों को HOG के करंट के प्रभाव में आने से बचाया जा सके।
- (xiv) इस उक्त परिस्थिति में गाड़ियों के कपलिंग टूटने से, गाड़ियों के अगले भाग में HOG निर्मित तार क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसे लोको पायलट/गार्ड द्वारा कोच के कोच इलेक्ट्रिक आयसोलटर से विद्युत आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए जिससे यात्रियों को करंट के संपर्क में आने से बचाया जा सके।
- (xv) इस परिस्थिति में असुरक्षित HOG आपूर्ति तार को अलग (डिस्कनेक्ट) करने के बाद तार पर टैप लगाकर करंट प्रभाव को रोका जा सकता है।
- (xvi) HOG सप्लाइ कोच में करंट सप्लाइ से आग लगने की संभावना बढ़ सकती है तो ऐसी अवस्था में G.R के नियम संख्या 6.10 का अनुपालन कर आग बुझाये जायेंगे तथा यात्रीयों को डी.सी. करंट के प्रभाव में आने से बचाया जायेगा।
- (xvii) गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को राहत संचालन प्रबंधन किया जायेगा जिसमें प्लेटिनम मिनट एवं गोल्डेन आवर का भरपूर सदुपयोग कर लोगों की जान बचाये जायेंगे।
- (xviii) HOG वाले गाड़ियों के आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगा जायेगा जिसके लिए नजदीकी स्टेशन के स्टेशनमास्टर/खण्डीय नियंत्रक/वरीय अधिकारी को सहायता के लिए सूचित किया जाएगा। साथ ही इसके बारे में पूर्ण विवरण सहित सर्वसंबंधित को सूचित किया जाएगा।
- (xix) आवश्यकतानुसार मेकेनिक/इलेक्ट्रिक मेकेनिक/SSE/SE/JE (ट्रैक्सन) को भी अटेंड कराया जायेगा एवं गाड़ी परिचालन हेतु लाईन साफ है प्रमाण-पत्र लेकर ही ब्लॉक खंड को साफ किया जायेगा।